संख्या-45/2025/आई/1090251/001-23-13-2025-ई-1960630

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-13 **लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में तहसील/विकास खण्ड मुख्यालयों को 02 लेन से जोड़ने हेतु योजनान्तर्गत जनपद चन्दौली में 01 परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-734 नि०/148-01नि0/चन्दौली/भाग-1/25-26, दिनांक 01.08.2025 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत जनपद चन्दौली(प्रा0ख0) की विधान सभा सकलडीहा के अन्तर्गत सकलडीहा कैनाल पटरी से सकलडीहा ब्लॉक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य(कुल लम्बाई-0.500 किमी0) की लागत रू0 235.66लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष रू0-188.53लाख(रूपये एक करोड़ अठ्ठासी लाख तिरेपन हजार मात्र)को व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-58 के पूंजी लेखान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र०सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	जनपद चन्दौली (प्रा0ख0)	सकलडीहा कैनाल पटरी से सकलडीहा ब्लॉक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य(कुल लम्बाई-0.500 किमी0)	235.66	188.53

<u>नियम व शर्तें/ प्रतिबन्ध</u> -

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं सम्बन्धित जनपद द्वारा विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(10) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(12) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(15) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,88,53,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठासी लाख तिरेपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054033371347 प0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-204/दस-2025-26, दिनांक 29 अगस्त, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-45/2025/आई/1090251(1)/001-23-13-2025-ई-1960630, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(5) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।

(6) मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(8) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(9) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी।

(10) संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।

(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

(12) राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।

(13) अधीक्षण अभियंता, नियोजन/ परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(14) लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11/12 एवं 14, उत्तर प्रदेश शासन।

(15) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन।

(16) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।